
अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य को प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015–16 की तुलना में मुख्य राजकोषीय मात्रा परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

यह विश्लेषण मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखे में समिलित विवरणों पर आधारित है। राज्य की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1** में दी गई है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹

वर्तमान मूल्यों एवं स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष: 2011–12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्ति को **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: भारत का सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत का सकल घरेलू उत्पाद	99,44,013	1,12,33,522	1,24,45,128	1,36,82,035	1,51,83,709
सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.82	12.97	10.79	9.94	10.98
वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,80,924	4,37,737	4,81,982	5,43,975	6,40,484
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	20.71	14.91	10.11	12.86	17.74
स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,51,461	3,64,197	3,83,994	4,14,607	4,65,212
स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.38	3.62	5.44	7.97	12.21

(स्रोत: सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2017 को एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये विवरण पत्रक)

परिशिष्ट 1.2 के **भाग (क)** में सरकारी लेखों की संरचना की व्याख्या की गई है तथा **भाग (ख)** में वित्त लेखे का अभिन्यास (layout) दिया गया है।

1.1.1 राजकोषीय लेनदेनों का सारांश

तालिका 1.2 वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान राज्य सरकार के लेनदेनों का सारांश प्रस्तुत करती है। **परिशिष्ट 1.3** 2016–17 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ–साथ प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण उपलब्ध कराता है।

¹ सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्रमशः देश एवं राज्य के अन्दर परिभाषित अन्तिम मात्र एवं सेवाओं का दिए गए समय की अवधि में बाजार मूल्य है एवं यह देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक है।

**तालिका 1.2: 2016–17 में राजकोषीय लेनदेनों का सारांश
(₹ करोड़ में)**

प्राप्तियाँ	2015–16	2016–17	संवितरण	2015–16	2016–17		
आयुभाग—क: राजस्व					आयोजनेतर	आयोजना	योग
राजस्व प्राप्तियाँ	1,05,510.60	1,23,306.79	राजस्व व्यय	99,770.70	73,267.74	46,269.63	1,19,537.37
कर राजस्व	40,213.66	44,193.65	सामान्य सेवाएं	25,700.26	27,454.36	448.76	27,903.12
करेतर राजस्व	8,568.79	9,086.51	सामाजिक सेवाएं	42,650.93	22,511.44	25,430.99	47,942.43
संघ करों/शुल्कों का अंश	38,397.84	46,064.10	आर्थिक सेवाएं	25,528.52	17,847.51	19,037.22	36,884.73
भारत सरकार से अनुदान	18,330.31	23,962.53	सहायतानुदान तथा अंशदान	5,890.99	5,454.43	1,352.66	6,807.09
अनुभाग—ख: पूंजीगत एवं अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	26.47	24.19	पूंजीगत परिव्यय	16,835.47	129.28	27,159.03	27,288.31
			सामान्य सेवाएं	549.22	42.47	655.37	697.84
			सामाजिक सेवाएं	3,024.49	40.28	3,244.88	3,285.16
			आर्थिक सेवाएं	13,261.76	46.54	23,258.77	23,305.31
कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियाँ	162.32	772.05	संवितरित कर्ज तथा अग्रिम	3,157.91	3,588.86	1,351.41	4,940.27
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1.93	0.01	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1.94	0.66	-	0.66
लोक ऋण प्राप्तियाँ	19,985.30	29,847.41*	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,860.36	4,925.41	-	4,925.41*
आकस्मिकता निधि	1.08	-	आकस्मिकता निधि	-	-	-	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ ²	1,32,772.19	1,61,078.58	लोक लेखा संवितरण	1,28,336.75	1,58,242.07	-	1,58,242.07
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	5,401.96	10,898.72	अन्तिम रोकड़ शेष	10,898.72	10,993.66	-	10,993.66
योग	2,63,861.85	3,25,927.75	योग	2,63,861.85	2,51,147.68	74,780.07	3,25,927.75

* वर्ष के दौरान कोई अर्थोपाय अग्रिम आहरित नहीं किए गए थे।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्तमान मूल्य एवं स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ नीचे तालिका 1.3 में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 1.3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	औसत
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व प्राप्तियाँ						
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	70,427	75,749	88,641	1,05,511	1,23,307	-
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.50	7.56	17.02	19.03	16.87	14.59
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	64,980	63,023	70,620	80,418	89,563	-
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	3.79	-3.01	12.05	13.87	11.37	7.62
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	18.49	17.30	18.39	19.40	19.25	18.57
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व व्यय						
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	62,968	69,870	82,373	99,771	1,19,537	-

² मुख्य शीर्ष 8009 से 8782 तक को सम्मिलित करते हुए (वित्त लेखे विवरण पत्रक-21)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	औसत
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	19.50	10.96	17.89	21.12	19.81	17.86
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	58,098	58,132	65,626	76,043	86,825	-
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.25	0.06	12.89	15.87	14.18	10.65
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	16.53	15.96	17.09	18.34	18.66	17.32
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित पूँजीगत व्यय						
वर्तमान मूल्य पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	11,567	10,813	11,878	16,835	27,288	-
वर्तमान मूल्य पर पूँजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	27.74	-6.52	9.85	41.73	62.09	26.98
स्थिर मूल्य पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	10,672	8,996	9,463	12,831	19,820	-
स्थिर मूल्य पर पूँजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.86	-15.70	5.19	35.59	54.47	19.48
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	3.04	2.47	2.46	3.09	4.26	3.06

(चोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति को गणना में लेने के बाद भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक राजस्व व्यय में वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों एवं पूँजीगत व्यय में 2013–14 के दौरान कमी आई किन्तु उसके बाद वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

उदय (उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना) योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के ऋण को राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त भार को **कंडिका 1.6.3** में विस्तार से उल्लेख किया गया है, उदय के दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि उदय के अंतर्गत राज्य द्वारा वहन किए गए ऋण को राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उदय को छोड़ने के बाद राज्य सरकार का वास्तविक राजकोषीय घाटा एवं बकाया देयताएं क्रमशः ₹ 20,304 करोड़ एवं ₹ 1,48,440 करोड़ थी। लेखों में लेने पर **कंडिका 3.16** एवं **तालिका 3.13** में तथा इस प्रतिवेदन में उल्लेखित विभिन्न मुददों को ध्यान में रखते हुए राजस्व अधिशेष ₹ 1,976 करोड़ अधिक बताया गया जबकि राजकोषीय घाटा एवं बकाया देयताएं क्रमशः ₹ 1,390 करोड़ एवं ₹ 1,368 करोड़ कम बताई गयी हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अवधि 2016–17 में बजट में दिए गए मुख्य घटकों, चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में दिए गए लक्ष्य के अंतर्गत राज्य का निष्पादन जिसमें राज्य की वास्तविक उपलब्धि (उदय को छोड़कर) तथा लेखापरीक्षा द्वारा गणना किए गए **तालिका 1.4** में दिया गया है।

तालिका 1.4: 2016–17 के दौरान राज्य का निष्पादन

मुख्य राजकोषीय संकेतक	चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट अनुमान में निर्धारित लक्ष्य (मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण ³)	वास्तविक उपलब्धि (उदय को छोड़कर)	वास्तविक जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा संगणित किया गया
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+)	–	शून्य	(+) ₹ 3,510 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.49 प्रतिशत)	(+) ₹ 7,781 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.21 प्रतिशत)	(+) ₹ 5,805 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.91 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा(–)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	3.50 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत से अधिक न हो	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत {(–) ₹ 24,914 करोड़}	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.17 प्रतिशत {(–) ₹ 20,304 करोड़}	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.39 प्रतिशत {(–) ₹ 21,694 करोड़}
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल बकाया ऋणों का अनुपात (प्रतिशत में)	25.34 प्रतिशत	–	21.67 प्रतिशत	23.18 प्रतिशत	23.39 प्रतिशत

(स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा 2015–20, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005, 2016–17 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष बजट के साथ प्रस्तुत पत्रक तथा वित्त लेखे 2016–17)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने बजट अनुमान 2016–17, चौदहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त किया। तथापि, राज्य बजट अनुमान 2016–17 में निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष बकाया ऋणों के अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण

राजकोषीय घाटा राजस्व एवं ऋणेतर प्राप्तियों से अधिक राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के (ऋण एवं अग्रिमों सहित) आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य की कुल (मुख्यतः रोकड़ के आहरण एवं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष के निवेश एवं उधार) आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषित प्रतिमान (pattern) तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण प्रतिमान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजकोषीय घाटा (उदय सहित*) (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत दर्शाते हैं)	9,420 (2.47)	9,882 (2.26)	11,352 (2.36)	14,065 (2.59)	27,664 (4.32)
1 राजस्व आधिक्य	7,459	5,879	6,268	5,740	3,770
2 निवल पूंजीगत व्यय	-11,534	-10,777	-11,850	-16,809	-27,265 ⁴
3 निवल कर्ज एवं अग्रिम	-5,345	-4,984	-5,770	-2,996	-4,169
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिमान**					
1 बाजार उधारियाँ	3,363	3,572	8,171	12,991	14,551
2 भारत सरकार से प्राप्त कर्ज	909	450	536	414	249
3 राष्ट्रीय अन्य बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	725	1,270	1,184	922	1,266

³ मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण⁴ वास्तविक परिणामी (नेट) पूंजीगत व्यय ऋणात्मक ₹ 27,264.12 करोड़ था किन्तु राजकोषीय घाटे से मिलाने के लिए पूर्णांक में ऋणात्मक ₹ 27,265 करोड़ लिया गया।

विवरण		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	210	245	258	798	1,590
5	आरक्षित निधियाँ	2,020	971	143	1,733	-498
6	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	837	948	962	1,025	813
7	जमा एवं अग्रिम	348	-490	618	574	3,436
8	उचंत एवं विविध	-93	32	462	1,457	-842
9	प्रेषण	400	286	- 57	-352	-72
10	अन्य ⁵	+701	2,598	-925	-5,497	+7,171
राजकोषीय घाटा		9,420	9,882	11,352	14,065	27,664

**ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरण/बहिर्वाह के परिणामी (नेट) हैं।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

*इस तालिका के राजकोषीय घाटे में उदय का प्रभाव सम्मिलित है ताकि वित्त लेखे में दर्शित राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिमान आंकड़ों को मिलाया जा सके।

1.1.2.2 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात तथा प्राथमिक घाटे⁶ का प्राथमिक राजस्व घाटा⁷ तथा पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों के सहित) में अपघटन राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि उधार ली गई निधियों को किस सीमा तक उपयोग किया गया था। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का लगातार उच्च अनुपात दर्शाता है कि राज्य का सम्पत्ति आधार निरंतर कम हो रहा था एवं ऋण (राजकोषीय देयताएं) के एक भाग के लिए कोई सम्पत्ति बैकअप नहीं था। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.6) पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटे की सीमा को दर्शाता है जो राज्य की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए वांछित हो सकता है।

तालिका 1.6: प्राथमिक घाटा/अधिशेष–संघटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणेत्तर प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम*	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) /अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा(-) /अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2012-13	70,500	57,394	11,567	5,385	74,346	13,106	-3,846
2013-14	75,880	63,479	10,813	5,079	79,371	12,401	-3,491
2014-15	95,435	75,302	11,878	12,536	99,716	20,133	-4,281
2015-16	1,05,701	91,680	16,835	3,160	1,11,675	14,021	-5,974
2016-17 [#]	1,24,103	1,10,458	27,288	4,942	1,42,688	13,645	-18,585

*अंतर्राजीय समायोजन सहित

[#]उदय के प्रभाव को शामिल कर
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

⁵ आकस्मिकता निधि, रोकड़ शेष, निवेश एवं बधापत्र के अधीन लेन-देन


⁶ प्राथमिक घाटा, व्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा है।

⁷ प्राथमिक राजस्व घाटा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है—यह राज्य के प्राथमिक राजस्व व्यय (राजस्व व्यय – व्याज अदायगियाँ) एवं गैर ऋण प्राप्तियों का अंतर है एवं यह प्रकट करता है कि किस सीमा तक गैर ऋण प्राप्तियाँ, राजस्व खाते के अंतर्गत, प्राथमिक व्यय को मिलाने के योग्य हैं।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित एवं अनवेक्षित घटनाओं या बजट तैयार करने के स्तर पर व्यय या राजस्व के कम/अधिक अनुमान के कारण, वाइचित राजकोषीय उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

वर्ष 2016–17 के लिए चयनित राजकोषीय मापदण्डों के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ों को चार्ट 1.1 एवं परिशिष्ट 1.4 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट 2016–17)

- कर राजस्व में कमी मुख्यतः राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 1,467 करोड़) एवं स्टॉम्प एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 575 करोड़) के अंतर्गत थी।
- करेतर राजस्व में कमी मुख्यतः शिक्षा खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 2,320 करोड़) के अंतर्गत थी।
- राजस्व व्यय में मुख्यतः कमी सामाजिक सेवाएं (₹ 6,009 करोड़), सामान्य सेवाएं (₹ 5,006 करोड़) में थी जो आर्थिक सेवाएं (₹ 7,120 करोड़) के अंतर्गत आधिक्य व्यय के द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।
- पूंजीगत व्यय (₹ 3,458 करोड़) में कमी आर्थिक सेवाएं (₹ 1,853 करोड़) एवं सामाजिक सेवाएं (₹ 1,731 करोड़) में कमी के कारण थी जो सामान्य सेवाएं के अंतर्गत ₹ 126 करोड़ के आधिक्य व्यय के द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयारी कार्रवाई को औचित्यपूर्ण बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों के मध्य लगातार अंतर को कम किया जा सके।

1.1.4 जेण्डर बजटिंग

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ दिलाने वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। मध्य प्रदेश में जेण्डर बजटिंग की शुरुआत 2007–08 में की गई थी। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था (1) योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में वर्षवार आवंटन एवं व्यय तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: 2012–17 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2			(₹ करोड़ में)
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	
2012-13	1,745.00	1,473.08	84.42	23,038.77	19,195.10	83.32	
2013-14	1,768.19	1,688.93	95.52	24,464.97	24,229.29	99.04	
2014-15	1,813.41	890.48	49.11	36,340.81	27,501.26	75.68	
2015-16	2,582.59	2,441.72	94.55	36,514.60	30,543.77	83.65	
2016-17	2,617.70	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं*	40,848.26	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं*	

* वित्त विभाग द्वारा प्रदाय नहीं की गयी

(स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय सूचना)

आयुक्त, महिला सशक्तिकरण एवं आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवाएं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: 2016–17 के दौरान श्रेणीवार प्रावधान एवं व्यय

विभाग का नाम	श्रेणी 1				श्रेणी 2				(₹ करोड़ में)
	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत (प्रतिशत)	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत (प्रतिशत)	
आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवाएं	08	540.48	503.77	36.71 (6.79)	23	2,417.51	2,294.63	122.88 (5.08)	
आयुक्त, महिला सशक्तिकरण	20	1,017.53	962.92	54.61 (5.37)	13	84.27	66.45	17.82 (21.15)	

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

दोनों विभागों ने सूचित किया कि बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा निधियों के आहरण पर प्रतिबंध, वित्त वर्ष के अंत में वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध तथा सक्षम वित्तीय समिति द्वारा आयोजना की स्वीकृति में विलंब था। आगे यह भी देखा गया कि श्रेणी 1 के अंतर्गत 14 योजनाओं एवं श्रेणी 2 के अंतर्गत 16 योजनाओं में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत हुयी जिसका विवरण परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है।


1.2 राज्य के वित्तीय संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन


राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से सहायतानुदान सम्मिलित है। पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों में यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार कर्ज, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियाँ) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे से निवल संग्रहण सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.2, 1.3 एवं 1.4 क्रमशः कुल प्राप्तियों के संघटन, 2012–17 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों में प्रवृत्ति एवं 2016–17 के दौरान संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।


चार्ट 1.2: 2016–17 के दौरान कुल प्राप्तियों की संरचना



(स्रोत: 2016–17 के वित्त लेखे)




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)




(स्रोत: 2016–17 के वित्त लेखे)

1.2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे के विवरण पत्रक-14 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं। 2012–17 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना **परिशिष्ट 1.6** में प्रस्तुत की गई है और क्रमशः **चार्ट 1.5** एवं **1.6** में भी चित्रित की गई हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2016–17 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 17,796 करोड़; 17 प्रतिशत) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई निवल प्राप्तियों (20 प्रतिशत), व्यापार, बिक्री इत्यादि पर अधिक कर संग्रहण (14 प्रतिशत), माल एवं यात्री पर कर (23 प्रतिशत), जिसे राज्य उत्पाद शुल्क (पाँच प्रतिशत), वन्य एवं वन्य जीवन (आठ प्रतिशत) एवं विविध सामान्य सेवाएं (87 प्रतिशत) के अंतर्गत कम प्राप्तियों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।

1.2.2.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन कर एवं करेतर राजस्व के संबंध में किया जाता है जिसमें केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य का अंश सम्मिलित नहीं होता है जो कि वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित होता है।

वर्ष 2012–17 के लिए कर राजस्व एवं करेतर राजस्व के संग्रहण का विवरण **परिशिष्ट 1.7** में प्रस्तुत किया गया है। इनमें 2012–13 में ₹ 37,582 करोड़ से बढ़कर 2016–17 में ₹ 53,280 करोड़, कुल ₹ 15,698 करोड़ (42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

कर राजस्व

2012–17 के दौरान कर राजस्व का विवरण नीचे तालिका 1.9 में दिया गया है।

तालिका 1.9: कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2015-16 की तुलना में 2016-17 में अंतर (प्रतिशत में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	14,856	16,650	18,136	19,806	22,561	13.91
राज्य उत्पाद शुल्क	5,078	5,907	6,696	7,923	7,533	(-) 4.92
वाहन कर	1,531	1,599	1,824	1,933	2,252	16.50
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,944	3,400	3,893	3,868	3,925	1.47
भू-राजस्व	444	366	243	277	407	46.93
माल तथा यात्री पर कर	2,395	2,579	2,686	3,085	3,805	23.34
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,478	1,972	2,010	2,258	2,621	16.08
अन्य कर	856	1,079	1,079	1,064	1,090	2.44
योग	30,582	33,552	36,567	40,214	44,194	(+) 9.90

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

करेतर राजस्व

2012–17 के दौरान करेतर राजस्व का विवरण नीचे तालिका 1.10 में दिया गया है:

तालिका 1.10: करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2015-16 की तुलना में 2016-17 में अंतर (प्रतिशत में)
ब्याज प्राप्तियाँ	301	318	1,261	429	582	35.66
लाभांश एवं लाभ	18	379	80	130	231	77.69
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	6,681	7,008	9,034	8,010	8,273	3.28
योग	7,000	7,705	10,375	8,569	9,086	(+) 6.03

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.2.2 संग्रहण लागत

2016–17 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संबंध में संग्रहण एवं उसकी लागत का विवरण नीचे तालिका 1.11 में दिया गया है:

तालिका 1.11: संग्रहण लागत

विवरण	कुल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	कुल संग्रहण के सापेक्ष संग्रहण लागत का प्रतिशत	विगत वर्ष का अखिल भारतीय औसत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	22,561.12	157.81	0.70	0.66
वाहन कर	2,251.51	40.38	1.79	4.99
राज्य उत्पाद शुल्क	7,532.59	105.05	1.39	3.21
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,925.43	33.02	0.84	2.87

(स्रोत: कुल संग्रहण हेतु 2016–17 के वित्त लेखे एवं संग्रहण पर व्यय हेतु संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर के सापेक्ष मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की तुलना अखिल भारतीय कर के सापेक्ष सकल घरेलू उत्पाद (राज्य बिक्री

कर के अधीन प्राप्तियाँ) का अनुपात भी अधिक अनुपात प्रकट करता है जो कि नीचे तालिका 1.12 में दिया गया है।

तालिका 1.12: बिक्री, व्यापार आदि पर कर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अनुपात

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ करोड़ में)	14,856	16,650	18,136	19,806	22,561
बिक्री, व्यापार आदि पर कर /मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
अखिल भारतीय कर (राज्य बिक्री कर के अंतर्गत प्राप्तियाँ) का सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अनुपात	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02

2012–17 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर के बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों के विवरण तालिका 1.13 में नीचे दर्शाए गए हैं:

**तालिका 1.13: बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों की प्रवृत्ति का विश्लेषण
(₹ करोड़ में)**

बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बजट अनुमान	14,000	16,500	19,500	21,300	22,000
वास्तविक आंकड़े	14,856	16,650	18,136	19,806	22,561

(स्रोत: 2016–17 के वित्त लेखे एवं 2016–17 की बजट पुस्तिकाएं)

1.2.2.3 भारत सरकार से सहायतानुदान

राज्य सरकार, वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित सहायतानुदान एवं केन्द्रीय करों एवं शुल्कों के अंश प्राप्त करती है। भारत सरकार से सहायतानुदान का विवरण नीचे तालिका 1.14 में दिया गया है।

**तालिका 1.14: भारत सरकार से सहायतानुदान
(₹ करोड़ में)**

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आयोजनेतर अनुदान	333	3,540	4,425	3,990	5,473
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	7,099	5,536	9,011	13,371	17,702
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	500	153	1,263	359	257
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	4,108	2,548	2,893	610	531
योग	12,040	11,777	17,592	18,330	23,963
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) की प्रतिशतता	21.26	(-) 2.18	49.38	4.19	30.73
राजस्व प्राप्ति	70,427	75,749	88,641	1,05,511	1,23,307
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	17.10	15.55	19.85	17.37	19.43

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.2.4 केन्द्रीय कर अंतरण

वर्ष 2012–17 के दौरान भारत सरकार से राज्य सरकार को अंतरण का विवरण तालिका 1.15 में दिया गया है:

तालिका 1.15: केन्द्रीय कर/शुल्क अंतरण में प्रवृत्तियाँ

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल केन्द्रीय कर अंतरण	20,805	22,715	24,107	38,398	46,064
सेवा कर	3,038	3,701	3,554	6,656	7,434
निगम कर से भिन्न आय पर कर	4,474	5,030	6,011	8,400	10,252
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2,350	2,618	2,202	5,100	7,246
निगम कर	7,473	7,639	8,418	12,078	14,752
सम्पत्ति पर कर	13	21	23	3	34
सीमा शुल्क	3,457	3,706	3,899	6,134	6,346
उत्पादों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0	0	0	27	0.13

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3 पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ

वर्ष 2012–17 के दौरान पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.16 में दी गई हैं:

तालिका 1.16: पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	8,864	9,672	21,863	20,175	30,643
ऋणेतर पूँजीगत प्राप्तियाँ	73	131	6,794	190	796
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	31	36	28	26	24
अंतर्राज्यीय परिशोधन	9	2	1	2	-
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली	33	93	6,765 ⁸	162	772 ⁹
लोक ऋण प्राप्ति	8,791	9,541	15,069	19,985	29,847
ऋणेतर पूँजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)99.20	79.45	5,086.26	(-)97.20	318.95
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)44.25	9.12	126.04	(-)7.72	51.89

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3.1 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.17 में दिया गया है:

तालिका 1.17: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बाजार उधारियाँ	4,500	5,000	10,300	14,700	16,100
वित्तीय संस्थानों से कर्ज	1,295	1,332	1,483	2,075	2,602
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉन्ड	-	-	-	-	7,360
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	1,439	1,996	1,914	1,884	2,518

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

⁸ इसमें से ₹ 6,694 करोड़ 'विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण' की वसूली के हैं

⁹ इसमें से ₹ 507 करोड़ कृषि एवं सहायक गतिविधियों के ऋण की वसूली के हैं

राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों से ज्यादा ब्याज दर पर उधारियों के प्रभाव पर कंडिका 1.4.3 में विस्तार से चर्चा की गई है।

1.2.3.2 भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम

वर्ष 2012–17 के दौरान भारत सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम का विवरण तालिका 1.18 में दिया गया है:

तालिका 1.18: भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	(₹ करोड़ में)
भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम (स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)	1,557	1,212	1,372	1,326	1,267	

1.2.3.3 लोक लेखा प्राप्तियाँ

अल्प बचत, भविष्य निधि एवं आरक्षित निधियों इत्यादि के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं इन पर राज्य विधानसभा द्वारा वोट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी की तरह कार्य करती है। लोक लेखों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति वित्त लेखे के विवरण पत्रक 21 में दर्शाई गई है एवं लोक लेखे (निवल) का विवरण तालिका 1.19 में दिया गया है।

तालिका 1.19: लोक लेखे (निवल) की स्थिति

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	(₹ करोड़ में)
लोक लेखे (निवल)	3,512	1,747	2,130	4,435	2,837	
(क) अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	837	948	963	1,024	813	
(ख) आरक्षित निधि	2,020	971	144	1,733	(-498)	
(ग) जमा एवं अग्रिम	348	(-490)	618	574	3,436	
(घ) उचंत एवं विविध	(-93)	32	462	1,457	(-842)	
(ड.) प्रेषण	400	286	(-57)	(-353)	(-72)	


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देनों के प्रभाव पर कंडिका 1.5.2 में चर्चा की गई है।


1.3 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.3.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

2012–17 के दौरान कुल व्यय तथा गतिविधिवार व्यय की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः चार्ट 1.7 एवं 1.8 प्रदर्शित करते हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2015–16 की तुलना में 2016–17 में राजस्व व्यय में ₹ 19,766 करोड़ (20 प्रतिशत) की समग्र वृद्धि हुई थी। 2016–17 के दौरान वृद्धि मुख्यतः विद्युत मण्डलों¹⁰ (76 प्रतिशत) एवं जिला पंचायतों¹¹ (100 प्रतिशत) को सहायता में वृद्धि के कारण थी। 2016–17 के दौरान कमी मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण¹² (40 प्रतिशत) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं¹³ के कारण राहत के अंतर्गत कम व्यय (79 प्रतिशत) तथा वानिकी¹⁴ (33 प्रतिशत) के अंतर्गत वन संरक्षण, विकास एवं पुनरुत्थान¹⁵ (21 प्रतिशत) के अंतर्गत कम व्यय के कारण हुई।

इसी प्रकार विगत वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में ₹ 10,453 करोड़ (62 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा¹⁶ (749 प्रतिशत), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण¹⁷

¹⁰ विद्युत मण्डलों को सहायता (₹ 5,363 करोड़)

¹¹ जिला पंचायतों को सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत सहायता (₹ 6,447 करोड़)

¹² सामाजिक कल्याण एवं पोषण के अन्तर्गत व्यय (₹ 4,187 करोड़)

¹³ प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के अन्तर्गत व्यय (₹ 4,009 करोड़)

¹⁴ वानिकी के अन्तर्गत व्यय (₹ 578 करोड़)

¹⁵ वन संरक्षण, विकास एवं पुनरुत्थान के अन्तर्गत व्यय (₹ 222 करोड़)

¹⁶ विद्युत की मुख्य आपूर्ति के संबंध में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल को राजसहायता के भुगतान के कारण (₹ 3,557 करोड़)

¹⁷ मध्यम सिंचाई (₹ 446 करोड़), मुख्य सिंचाई (₹ 1,287 करोड़)

(33 प्रतिशत) के अंतर्गत थी एवं कमी मुख्यतः जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास¹⁸ (27 प्रतिशत) के अंतर्गत थी।

1.3.2 राजस्व व्यय

आयोजना एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय

आयोजना एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय का विवरण तालिका 1.20 में दिया गया है:

तालिका 1.20: आयोजना एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व व्यय	62,968	69,870	82,373	99,771	1,19,537
आयोजनेतर राजस्व व्यय	44,619	50,443	55,858	68,319	73,267
आयोजना राजस्व व्यय	18,349	19,427	26,515	31,452	46,270
आयोजनेतर राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	22	13	11	22	7
आयोजना राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	15	6	36	19	47

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.3 पूंजीगत व्यय

आयोजना एवं आयोजनेतर पूंजीगत व्यय

आयोजना एवं आयोजनेतर पूंजीगत व्यय का विवरण तालिका 1.21 में दिया गया है:

तालिका 1.21: आयोजना एवं आयोजनेतर पूंजीगत व्यय

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	11,567	10,813	11,878	16,835	27,288
आयोजनेतर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	24	43	57	157	129
आयोजना पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	11,543	10,770	11,821	16,678	27,159
आयोजनेतर पूंजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)25.00	79.17	32.56	175.44	(-)17.83
आयोजना पूंजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	27.93	(-)6.70	9.76	41.09	62.84

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.4 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 2016–17 के दौरान सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 9,079 करोड़), वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 21,577 करोड़), पेंशन (₹ 8,793 करोड़) एवं राजसहायता (₹ 16,512 करोड़) शामिल हैं। प्रतिबद्ध व्यय (₹ 55,961 करोड़) राजस्व व्यय का मुख्य संघटक है एवं इसमें आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ 73,267 करोड़) का 76 प्रतिशत प्रयुक्त हुआ।

तालिका 1.22 2012–17 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है।

¹⁸ सिंहरथ मेले की व्यवस्था (₹ 335 करोड़), जल निगम के द्वारा जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन (₹ 219 करोड़)

तालिका 1.22: प्रतिबद्ध व्यय के संघटकों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन* एवं मजदूरी जिसमें	16,026 (22.76)	18,361 (24.24)	19,997 (22.56)	20,554 (19.48)	29,252	21,577 (17.50)
आयोजनेतर शीर्ष	14,133	16,081	17,285	18,018	--	18,873
आयोजना शीर्ष **	1,893	2,280	2,712	2,536	--	2,704
ब्याज भुगतान	5,574 (7.91)	6,391 (8.44)	7,071 (7.98)	8,091 (7.67)	10,233	9,079 (7.36)
पेंशन भुगतान	4,947 (7.02)	5,932 (7.83)	6,836 (7.71)	7,819 (7.41)	10,434	8,793 (7.13)
राजसहायता	5,697 (8.09)	6,567 (8.67)	9,954 (11.23)	11,725 (11.11)	17,398	16,512 (13.39)
कुल	32,244 (46)	37,251 (49)	43,858 (49)	48,189 (46)	67,317	55,961 (45)

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत को दर्शाते हैं

*सहायतानुदान से भुगतान किए गए वेतन भी सम्मिलित है।

** आयोजना शीर्ष में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत भुगतान किए गए वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।

(पौत्र: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश द्वारा संकलित आंकड़े)

1.3.4.1 पेंशन भुगतान

राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों की 1 जनवरी 2005 को या उसके पश्चात नियुक्ति हुई है वे नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं महगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है जिसमें राज्य सरकार द्वारा समरूप अंश मिलाया जाता है और सम्पूर्ण राशि मनोनीत निधि प्रबंधक को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) द्वारा अंतरित की जाती है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दोनों ही अंशदानों को आरम्भतः पृथक उपशीर्ष के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8342 के सापेक्ष लोक लेखे में जमा किया जाना होता है तत्पश्चात सम्पूर्ण राशि उसी वर्ष मनोनीत निधि प्रबंधक द्वारा एन.एस.डी.एल. को अंतरित की जानी होती है। इस प्रक्रिया से यह सत्यापित करना संभव है कि क्या कर्मचारी अंशदान के अंतर्गत सम्पूर्ण कठोतियों का नियोक्ता द्वारा समान अंशदान कर दिया गया है एवं लोक लेखे में अंतरित कर दिया गया है तथा सम्पूर्ण राशि (कर्मचारी एवं नियोक्ता का अंशदान) एन.एस.डी.एल. में अंतरित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन ने 2009–10 तक उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन किया। तथापि, 2006–07 से 2009–10 के दौरान जहाँ ₹ 83.27 करोड़ कर्मचारी अंशदान के रूप में मुख्य शीर्ष 8342 के अंतर्गत जमा किए गए थे वहीं सरकार ने संबंधित वर्षों में समरूप अंशदान नहीं किया। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट नहीं है कि समस्त सरकारी कर्मचारी, जो इस अवधि के दौरान नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल थे, ने योजना में अंशदान दिया।

2010–11 से मध्य प्रदेश शासन ने प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0071 के अंतर्गत नवीन पेंशन योजना में कर्मचारियों के अंशदान की ‘बजटिंग’ एवं पुस्तांकन पद्धति’ को अपनाया। इस प्रकार से सरकार के अंशदान सर्वप्रथम मुख्य शीर्ष 2071 के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं और उसके पश्चात उसी मुख्य शीर्ष 0071 के अंतर्गत लघुशीर्ष ‘900–घटायें वापसियाँ’ के परिचालन द्वारा निधियों को अंतरित किए जाते हैं चूंकि समेकित निधि वर्ष के अंत में लेखों के लिए बंद कर दी जाती है और किसी शेष को आगे नहीं बढ़ाया जाता है,

इसलिए किसी भी वर्ष निधियों में अंशदान प्रेषित करने में कोई भी कमी संबंधित वर्षों के लेखों में उपलब्ध नहीं होती है। 2010–11 से 2016–17 के दौरान ₹ 1,197.51 करोड़ के अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा किया गया वास्तविक अंशदान ₹ 1,302.40 करोड़ था। राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति में कमी के कारण यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि कर्मचारी अंशदान से अधिक, सरकार का अंशदान विगत वर्षों की कमियों के विरुद्ध था।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कुल अंशदान ₹ 2,499.91 करोड़ (2010–11 से 2016–17 की अवधि के लिए कर्मचारी एवं सरकार का अंशदान) के विरुद्ध मात्र ₹ 2,401.93 करोड़ एन.एस.डी.एल. को अंतरित किए गए थे एवं शेष राशि ₹ 97.98 करोड़ एन.एस.डी.एल. को अंतरित नहीं की गयी। 2016–17 के लिए सरकार ने ₹ 650.34 करोड़ के कुल अंशदान में से मात्र ₹ 628.48 करोड़ ही एन.एस.डी.एल. को अंतरित किए। इसके परिणामस्वरूप 2016–17 के लिए ₹ 21.86 करोड़ से राजस्व अधिशेष बढ़ाकर एवं राजकोषीय घाटा कम बताया गया। कम अंतरण निश्चित रूप से नवीन पेंशन योजना कोष का दिवालियापन और योजना की विफलता का कारण बन जायेगा।

इस प्रकार सरकार के अंश सहित सम्पूर्ण अंशदान को एन.एस.डी.एल. को अंतरण करने में असफल होने के कारण राज्य सरकार की देयताओं में वृद्धि हुई।

अनुशंसा: राज्य सरकार को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से परामर्श कर (i) 2004–05 से 2016–17 की अवधि के लिए कर्मचारियों एवं सरकार के अंशदान की राशि का मिलान एवं वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे में नवीन पेंशन योजना के लिये किये गये अंशदान का वास्तविक रूप प्रस्तुत करना चाहिए। (ii) प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0071 के अधीन नवीन पेंशन योजना के लिए बजटिंग एवं कर्मचारियों के अंशदान के पुस्तांकन की विद्यमान पद्धति की समीक्षा करनी चाहिए।

नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत ₹ 36.83 लाख के कर्मचारी अंशदान की कटौती में विफलता

खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्डवा तथा उनके अधीनस्थ स्कूलों द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों की नमूना जाँच (नवम्बर 2017) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले राज्य शासकीय कर्मचारियों के अंशदान की कटौती खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्डवा एवं उनके अधीनस्थ स्कूलों द्वारा नहीं की गई थी। इसका विवरण तालिका 1.23 में दिया गया है।

**तालिका 1.23: कर्मचारियों के अंशदान की कटौती नहीं किए जाने का विवरण
(₹ लाख में)**

स.क्र.	संस्थान	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों के अंशदान की राशि जिसकी कटौती नहीं की गई	मध्य प्रदेश शासन की समरूप अंश की राशि	कुल राशि जिसे एन.एस.डी.एल./द्रस्टी बैंकों को अंतरित नहीं किया गया
1	खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्डवा	47	17.78	17.78	35.56
2	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बड़गांव गुर्जर	3	1.32	1.32	2.64
3	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जावर	16	7.24	7.24	14.48
4	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सूरजकुण्ड, खण्डवा	7	5.10	5.10	10.20
5	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिन्हदा, खण्डवा	13	5.39	5.39	10.78
योग		86	36.83	36.83	73.66

तालिका 1.23 से स्पष्ट है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्डवा एवं उनके अधीनस्थ विद्यालयों ने 86 शासकीय कर्मचारियों की उनकी नियुक्ति से न तो कर्मचारी अंशदान

के ₹ 36.83 लाख की कटौती की और न ही राज्य सरकार ने समान राशि का अंशदान किया, जिसके परिणामस्वरूप एन.एस.डी.एल./द्रस्टी बैंक को ₹ 73.66 लाख का कम अंतरण हुआ। इसके कारण शासकीय कर्मचारियों को नवीन पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सका।

अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति तिथि से पूर्णतः नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत लिया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कर्मचारियों के अंशदान की पूर्णरूप से कटौती की जाती है, सरकार पूर्णरूप से समरूप अंशदान करती है और सम्पूर्ण राशि समय से एन.एस.डी.एल को अंतरित की जाती है।

1.3.4.2 राजसहायताएं

2016–17 के दौरान राजसहायताओं पर राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई राजसहायताओं का विभाग/शीर्षवार विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट II में दिया गया है। वर्ष के दौरान राशि ₹ 16,512 करोड़ का भुगतान किया गया जो कि राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत था। भुगतान की गई कुल राजसहायता में से, ₹ 9,960 करोड़ (60 प्रतिशत) आयोजनेतर के अंतर्गत, ₹ 6,366 करोड़ (39 प्रतिशत) योजना के अंतर्गत एवं ₹ 186 करोड़ (एक प्रतिशत) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं¹⁹ के अंतर्गत संवितरित की गई। मुख्य गतिविधियां जिन्हें राजसहायता दी गई वे ऊर्जा गतिविधियां: ₹ 8,404 करोड़ (51 प्रतिशत), कृषक कल्याण एवं कृषि विकास गतिविधियां: ₹ 3,208 करोड़ (19 प्रतिशत) एवं वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार गतिविधियां: ₹ 1,434 करोड़ (नौ प्रतिशत) के अंतर्गत थीं।

2016–17 के दौरान कुछ अंतर्निहित राजसहायताओं का विवरण तालिका 1.24 में दिया गया है।

तालिका 1.24: 2016–17 के दौरान कुछ अंतर्निहित राजसहायताओं का विवरण
(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	योजना/राजसहायता	विभाग का नाम	राशि
1	वर्दी की निःशुल्क आपूर्ति	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	67.50
2	पाठ्यपुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	39.91
कुल			107.41

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2016–17)

1.3.5 व्यय की गुणवत्ता

व्यय की गुणवत्ता के अंतर्गत मुख्यतः तीन दृष्टिकोण शामिल होते हैं यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाओं को उपलब्ध कराने को पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और प्रभावशीलता (परिव्यय का आकलन—सेवाओं के लिए परिणाम संबंध)।

1.3.5.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

2012–13 एवं 2016–17 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवा व्यय एवं पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण तालिका 1.25 में किया गया है।

¹⁹ निधि राज्य बजट के माध्यम से प्राप्त हुई।

तालिका 1.25: 2012–13 एवं 2016–17 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रतिशतता)	कुल व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय# / कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय / कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र का व्यय / कुल व्यय	पूंजीगत व्यय / कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय / कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय / कुल व्यय
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2012–13	14.80	70.00	38.20	29.80	13.70	17.70	4.60
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2012–13	20.98	72.45	32.69	39.75	14.47	13.82	4.14
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2016–17	16.70	70.90	32.20	35.10	19.70	15.20	4.80
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2016–17	23.70	76.67	33.80	42.86	17.98	14.45	3.91
# विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित कर्ज तथा अग्रिम सम्बंधित है।							

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2016–17 में मध्य प्रदेश के सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता दर्शाने वाला अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से उच्च था तथा स्वास्थ्य क्षेत्र को छोड़कर 2012–13 में राज्य के स्वयं के निष्पादन से भी अधिक था।

1.3.6 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण नीचे तालिका 1.26 में दिया गया है:

तालिका 1.26: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक / आर्थिक अधोसंरचना	2015–16			2016–17		
	कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)		कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	
		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख-रखाव		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख-रखाव
कुल (सामाजिक सेवाएं)	6.62	10,992	331	6.40	11,461	406
कुल (आर्थिक सेवाएं)	31.65	3,582	1,112	35.83	3,360	1,503
कुल (सामाजिक सेवाएं+आर्थिक सेवाएं)	18.59	14,574	1,443	22.85	14,821	1,909
सामाजिक सेवा के मुख्य संघटक						
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	4.25	7,321	7	3.36	7,490	26
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	4.14	2,419	8	9.51	2,602	12
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	19.58	291	313	9.02	315	359
अन्य सामाजिक सेवाएं	3.51	960	3	7.85	1,054	9
आर्थिक सेवा के मुख्य संघटक						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	1.49	2,377	11	5.69	2,099	13
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	91.00	532	68	92.49	586	72
विद्युत तथा ऊर्जा	5.30	1	5	22.98	1	6
परिवहन	73.63	77	756	78.96	76	777
अन्य आर्थिक सेवाएं	23.52	596	271	27.48	598	635

(स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश के व्ही.एल.सी. आंकड़े 2015–16 एवं 2016–17)

1.4 शासकीय व्यय एवं निवेश

1.4.1 सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहारता के आकलन हेतु किया था। 2012–17 की अवधि के लिए राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति तालिका 1.27 में दर्शित है।

तालिका 1.27: सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	तेरहवें वित्त आयोग (2010–15) / चौदहवें वित्त आयोग (2015–20) के लागत वसूली आकलन	राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	लागत वसूली में अंतर (gap)
	₹ करोड़ में		प्रतिशत में		
2012-13	718	517	45	72	(-27)
2013-14	779	358	60	46	14
2014-15	839	437	75	52	23
2015-16	625	483	35	77	(-42)
2016-17	680	574	35	84	(-49)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन)

उपरोक्तानुसार देखा गया कि राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली में वृद्धि हुई है एवं 2016-17 के दौरान यह पड़ोसी राज्यों²⁰ से कहीं बेहतर थी।

1.4.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण कार्यों पर निधियों को अवरुद्ध रखने से व्यय की गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। वित्त लेखे में दिए गए अपूर्ण परियोजनाओं के विवरण को तालिका 1.28 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 1.28: 31 मार्च 2017 को अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

संक्र.	विवरण	अपूर्ण परियोजनाओं / कार्यों की संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक बजट लागत	24 परियोजनाओं की प्रारंभिक बजट लागत जो कि पुनरीक्षित कर दी गई थी		24 अपूर्ण परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत	24 परियोजनाओं की लागत वृद्धि जो कि पुनरीक्षित की गई थी	सभी अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी वास्तविक व्यय
				संख्या	राशि			
1	जल संसाधन विभाग	43	2,035.68	01	332.55	545.36	212.81	1,575.93
2	लोक निर्माण विभाग	194	1,663.27	19	41.23	52.55	11.32	358.02
3	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	05	5,858.21	04	730.99	5,307.00	4,576.01	6,673.13
योग		242	9,557.16	24	1,104.77	5,904.91	4,800.14	8,607.08

(स्रोत: वित्त लेखे 2016-17 का परिशिष्ट IX)

अनुशंसा: जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजनाओं की पूर्णता समय से सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित कर सकते हैं।

1.4.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

2012-17 के दौरान निवेशों²¹ पर प्रतिलाभ की स्थिति तालिका 1.29 में दी गई है।

²⁰ बिहार-31, उत्तर प्रदेश-20 एवं झारखण्ड-8.47²¹ सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियां, सहकारी समितियां, बैंक

तालिका 1.29: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश / प्रतिलाभ / उधारियों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	14,656	15,275	16,105	16,600	22,672
लाभांश / ब्याज प्राप्ति (₹ करोड़ में)	18.38	378.72	80.35	129.64	231.50
लाभांश / ब्याज प्राप्ति (प्रतिशत)	0.13	2.48	0.50	0.78	1.02
सरकार द्वारा लिए गए उधार पर औसत ब्याज दर ²² (प्रतिशत)	6.48	6.84	6.88	6.86	6.42
बाजार उधारियों पर ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ की दर के मध्य अंतर (प्रतिशत)	6.35	4.36	6.38	6.08	5.40
बाजार उधारियों पर ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ की दर के मध्य अंतर के कारण हानि (₹ करोड़ में)	931	666	1,027	1,009	1,224

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत पाँच वर्षों के दौरान सरकार की उधार लागत एवं कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ के मध्य अंतर के कारण राज्य सरकार को विभिन्न इकाईयों में निवेश के प्रतिलाभ पर $\text{₹} 4,857$ करोड़ की हानि हुई। अकार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश पर प्रतिलाभ का आकलन नहीं किया जा सका।

इस बात को देखना विशिष्ट महत्व का है कि निवेशों पर अति न्यून प्रतिलाभ के बावजूद वित्त विभाग ने इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निरन्तर समता पूंजी एवं ऋण प्रदान किये हैं, साथ ही उन उपक्रमों को भी जिन्होंने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने लेखों को अंतिम रूप भी नहीं दिया था, जैसा कि कंडिका 3.14 में चर्चा की गई है।

1.4.4 राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के साथ-साथ राज्य सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेकों को कर्ज तथा अग्रिम भी उपलब्ध करवा रही है। विवरण तालिका 1.30 में दिया गया है।

तालिका 1.30: राज्य सरकार द्वारा बकाया कर्ज एवं अग्रिम तथा ब्याज प्राप्तियाँ एवं भुगतान (₹ करोड़ में)

कर्ज की मात्रा / ब्याज प्राप्तियाँ / उधारियों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कर्ज एवं अग्रिम का प्रारंभिक शेष	21,742	27,088	32,072	37,842	40,827²³
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	5,378	5,077	12,535	3,158	4,941
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	32	93	6,765	162	772
कर्ज तथा अग्रिम का अंतिम शेष	27,088	32,072	37,842	40,838	44,996
कर्ज तथा अग्रिम का निवल संयोजन	5,346	4,984	5,770	2,996	4,169
ब्याज प्राप्तियाँ	42	12	1,058	139	62
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में	0.16	0.04	2.80	0.34	0.14
ब्याज प्राप्तियाँ					
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर ²⁴ (प्रतिशत)	6.48	6.84	6.88	6.86	6.42
बाजार उधारियों पर ब्याज दर एवं कर्जों पर प्राप्त ब्याज के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.32	6.80	4.08	6.52	6.28
बाजार उधारियों पर ब्याज दर एवं कर्जों पर प्राप्त ब्याज के मध्य अन्तर के कारण हानि	340	345	511	206	310

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

²² ब्याज भुगतान/[पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं]/2]*100

²³ छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा अंतरण के कारण आरंभिक शेष में $\text{₹} 10.21$ करोड़ की कमी हुई

²⁴ ब्याज भुगतान/[पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं]/2]*100

विगत पाँच वर्षों में अग्रिम, कर्ज पर प्राप्त ब्याज एवं सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर किए गए ब्याज व्यय के मध्य अंतर के कारण ₹ 1,712 करोड़ की हानि हुई।

सरकार द्वारा दिए गए कर्जों एवं अग्रिमों का विवरण वित्त लेखे के विवरण पत्रक 18 के अनुभाग 1 में विस्तार से दिया गया है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को विभिन्न इकाईयों में अपने निवेशों एवं अग्रिम कर्जों को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश एवं ऋण पर प्रतिलाभ कम से कम सरकार की उधारी लागत से साम्य रखे।

1.4.5 मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को वित्तीय सहायता

मध्य प्रदेश शासन द्वारा उसके पूर्ण स्वामित्व वाले विद्युत क्षेत्र कम्पनियों को सामान्य कर्ज, पूंजीगत कर्ज, कार्यकारी पूंजीगत कर्ज तथा लघु अवधि कार्यकारी पूंजीगत कर्जों इत्यादि के रूप में दी गई वित्तीय सहायताओं की स्थिति अभिनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के कर्जों एवं प्रत्याभूतियों से संबंधित मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर (कम्पनी) के अभिलेखों की समीक्षा की।

2012–13 से 2016–17 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा कम्पनी को संवितरित किए गए कर्जों का विवरण तालिका 1.31 में दिया गया है।

तालिका 1.31: 2012–17 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा संवितरित किए गए कर्जों का विवरण

(₹ करोड़ में)						
संक्र.	कर्ज की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	कम्पनी को दिए गए कर्ज का प्रारम्भिक शेष	5,048.28	6,895.73	8,467.60	10,136.06	11,117.99
2	वर्ष के दौरान कम्पनी को दिया गया कर्ज	1,847.45	1,571.87	1,668.46	981.93	951.86
3	वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा चुकाया गया कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00 ²⁵
4	अंतिम शेष	6,895.73	8,467.60	10,136.06	11,117.99	12,031.85
5	निवल संयोजन (2-3)	1,847.45	1,571.87	1,668.46	981.93	913.86
6	कम्पनी द्वारा कर्जों पर किया गया ब्याज भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- **तालिका 1.31** से स्पष्ट है कि 2012–13 से 2016–17 के दौरान मध्य प्रदेश शासन को न तो ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में कोई राशि प्राप्त हुई है और न ही उसके ऊपर कोई ब्याज प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश शासन ने इस अवधि के दौरान कम्पनी को ₹ 6,983.57 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज जारी किया जिसके कारण कर्ज की बकाया राशि 2012–13 में ₹ 5,048.28 करोड़ से बढ़कर 2016–17 में ₹ 12,031.85 करोड़ हो गई। इस दृष्टिकोण से, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करते हैं एवं मेरिट को बट्टे खाते में डाला जा रहा है।

²⁵ उदय के अंतर्गत ऋण को अनुदान में परिवर्तित किया।

- इसके अतिरिक्त, उदय के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने कम्पनी द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, विद्युत वित्त निगम, आवास एवं शहरी विकास निगम तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए राशि ₹ 2,643.18 करोड़ के कर्ज/उधारी की जिम्मेदारी ले ली थी (मार्च 2017) तथा उसे क्रमशः ₹ 1,323.27 करोड़ एवं ₹ 1,319.91 करोड़ के समता पूँजी एवं अनुदान में परिवर्तित कर दिया था।
- मध्य प्रदेश शासन ने कम्पनी द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं विद्युत वित्त निगम से लिए गए विभिन्न कर्जों के लिए भी प्रत्याभूति प्रदान की थी। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन कम्पनी से प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी था। तथापि कम्पनी ने 31 मार्च 2017 की स्थिति में कम्पनी द्वारा लिए गए कर्ज के लिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गई प्रत्याभूति के शुल्क ₹ 56.94 करोड़ का भुगतान नहीं किया था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को सभी संस्थाओं को दिए गए अग्रिम ऋणों की समीक्षा करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि कर्ज जिनके पुनर्भुगतान किए जाने की संभावना नहीं है, उसे बट्टे खातें में नहीं डाला जाना चाहिए।

1.4.6 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2017 तक प्रारम्भ की गई 198 सार्वजनिक निजी भागेदारी परियोजनाओं (लागत: ₹ 23,707.40 करोड़) में से, ₹ 9,463.64 करोड़ लागत की 100 परियोजनाओं (50.51 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था। जबकि ₹ 8,096.33 करोड़ लागत वाली 42 परियोजनाओं (21.21 प्रतिशत) में कार्य प्रगति पर था, ₹ 6,147.43 करोड़ लागत वाली 56 परियोजनाएं (28.28 प्रतिशत) प्रक्रियाधीन या बोली के अंतर्गत थीं। विवरण **परिशिष्ट 1.8** में दिया गया है।

1.4.7 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.32, 2016–17 के दौरान रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का चित्रण करती है।

तालिका 1.32: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2017 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषालयों में रोकड़	--	--
रिजर्व बैंक में जमा	1,009.49	(-) 52.99
पारगमन में प्रेषण—स्थानीय	--	--
कुल	1,009.49	(-) 52.99
रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	9,485.24	10,628.22
कुल (अ)	10,494.73	10,575.23
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय रोकड़ शेष	0.94	1.18
स्थायी पेशगी	0.84	0.83
उद्दिष्ट निधि से निवेश	402.21	416.42
कुल (ब)	403.99	418.43
महायोग (अ)+(ब)	10,898.72	10,993.66

(स्रोत: 2015–16 एवं 2016–17 के वित्त लेखे)

1.5 परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

1.5.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संरचना

यद्यपि विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति सरकार की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखांकन प्रस्तुत नहीं करती है, तथापि सरकारी लेखे वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2016 को समतुल्य स्थिति की तुलना करते हुए 31 मार्च 2017 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का सार परिशिष्ट 1.9 प्रस्तुत करता है। जहाँ देयताओं के अंतर्गत मुख्यतः आंतरिक उधारियां, भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ निहित होती हैं, परिसम्पत्तियों के अंतर्गत मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित होते हैं।

1.5.2 आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देन

राज्य सरकार के लेखों में 10 आरक्षित निधियां हैं जो कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित की गई हैं। विवरण परिशिष्ट 1.10 में दिया गया है एवं तालिका 1.33 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 1.33: 2014–17 के दौरान आरक्षित निधियों की स्थिति

सं. क्र.	लेखा शीर्ष	आरक्षित निधियों की संख्या		1 अप्रैल 2014 को प्रारम्भिक शेष	2014–17 के दौरान प्राप्तियाँ	2014–17 के दौरान संवितरण	(₹ लाख में) 31 मार्च 2017 को अंतिम शेष
		संचालित	असंचालित				
सब्याज आरक्षित निधियां							
1	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	01	00	10,246.44	5,36,997.00	4,70,197.00	77,046.44
ब्याज रहित आरक्षित निधियां							
1	8223-सूखा राहत निधि	01	00	541.68	56.47	00	598.15
2	8226-मूल्य छास/नवीकरण आरक्षित निधि	01	00	440.37	23.21	00	463.58
3	8228- राजस्व आरक्षित निधि	01	00	2,276.03	133.24	00	2,409.27
4	8229-विकास एवं कल्याण निधि	03	01	5,71,885.22	2,20,512.51	1,51,186.40	6,41,211.33
5	8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	01	01	2.21	1,670.66	1,670.66	2.21
कुल		08	02	5,85,391.95	7,59,393.09	6,23,054.06	7,21,730.98
या ₹ 7,217.31 करोड़							

(चोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2014–17 के दौरान ₹ 40.36 लाख वाली दो²⁶ आरक्षित निधियां संचालित नहीं की गई थीं, तीन²⁷ अन्य आरक्षित निधियों में 31 मार्च 2017 की स्थिति में राशि ₹ 7.69 करोड़ का निवेश था किन्तु इनमें से किसी भी निधि में, यदि पहले नहीं किया गया हो, तो विगत तीन वर्षों में कोई भी निवेश नहीं किया गया था।

²⁶ 1. 8229–103, कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियां, 2. 8235–200–अन्य निधियां

²⁷ 1. राजस्व आरक्षित निधियां, 2. कृषि उद्देश्यों हेतु विकास निधियां, 3. अन्य निधियां

मुख्य शीर्ष 8223–102—सूखा राहत निधि निवेश लेखा के अंतर्गत दर्शित ऋणात्मक ₹ 5.34 लाख शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह पुस्तकीय त्रुटि है और इसे बट्टे खाते में डाला जाना है।

आरक्षित निधि 8229—विकास एवं कल्याण निधि के अंतर्गत पड़े हुए ₹ 6,412 करोड़ में से केवल ₹ 0.07 करोड़ 31 मार्च 2017 के अंत में निवेश किए गए थे।

उपर्युक्त के तारतम्य में यह बताया जाना है कि आरक्षित निधियों में अंतरण एवं तत्पश्चात उनमें से संवितरण समेकित निधि के अंतर्गत उपर्युक्त राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत नामे या जमा प्रविष्टि के माध्यम से किया जाता है। ये वास्तविक रोकड़ अंतरण को प्रदर्शित करती है भले ही यह रिजर्व बैंक जमा को प्रत्यक्ष तौर पर या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हों। चूंकि निवेश इत्यादि के माध्यम से कोई वास्तविक रोकड़ वर्हिंगवाह नहीं था, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षित निधि के सापेक्ष बिना किसी निवेश के इन लेन-देनों का चित्रण मात्र पुस्तकीय प्रविष्टि थी। उसका एकमात्र प्रभाव तब होगा जब इसका उपयोग आरक्षित निधियों में अंतरण के वर्षों में राजकोषीय घाटे की अतियुक्त एवं राजस्व अधिशेष की न्यूनोक्ति के द्वारा भविष्य के वर्षों में कोई अनुचित हितकारी राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे की स्थिति को चित्रित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह वांछनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक जमा को प्रभावित किए बिना आरक्षित निधियों में लेन-देनों को मात्र पुस्तकीय प्रविष्टि के रूप में मानना आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

तथापि इन शेषों का वर्षों तक बकाया पड़े रहना राज्य की वृहद् देयता को प्रदर्शित करता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देनों एवं शेषों को मात्र पुस्तक प्रविष्टियाँ मानने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेषों के वास्तविक निवेश द्वारा आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

1.5.2.1 समस्त कर्जों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्यों को ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को विगत वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत का अंशदान समेकित निक्षेप निधि में देना आवश्यक है। तथापि राज्य सरकार ने समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया। निक्षेप निधि का गठन न होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने 2016–17 में ₹ 635.72 करोड़ का अंशदान नहीं किया (31 मार्च 2016 की स्थिति में बकाया देयताएं ₹ 1,27,144.43 करोड़ का 0.50 प्रतिशत)।

अनुशंसा: राज्य सरकार बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा स्वीकार कर समेकित निक्षेप निधि का गठन करें।

1.5.2.2 राज्य आपदा मोर्चन निधि

ब्याज धारक आरक्षित निधि के रूप में राज्य आपदा मोर्चन निधि का लेखांकन न होना

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से, पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा मोर्चन निधि से प्रतिस्थापित कर दिया था।

मार्च 2017 में राज्य आपदा मोर्चन निधि के पास अंतिम शेष ₹ 668 करोड़ था। राज्य आपदा मोर्चन निधि दिशानिर्देश 2010 की कंडिका 19 और 20 के अनुसार, राज्य

कार्यकारिणी समिति को निधियों के अंतर्गत पड़े शेष को (क) केन्द्रीय शासकीय दिनांकित प्रतिभूतियों में (ख) नीलामी कोषालय देयकों में (ग) ब्याज धारक जमा एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के जमा प्रमाण पत्रों में निवेश करना चाहिए तथापि, शासन ने दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं किया। राज्य आपदा मोर्चन निधि दिशानिर्देशों के अनुसार, शासन से अनिवेशित शेष पर अधिविकर्ष पर देय ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित था। तथापि, मध्यप्रदेश शासन ने निधि के गठन के समय से राज्य आपदा मोर्चन निधि में ब्याज का भुगतान नहीं किया था। 2015–17^{27क} की अवधि के दौरान लागू ब्याज दर के अनुसार संगणित अदत्त ब्याज की राशि ₹ 118.04 करोड़ रही एवं इस प्रकार मार्च 2017 के अंत में उस सीमा तक देयता निर्मित की। 2016–17 के दौरान, अदत्त ब्याज ₹ 56.78 करोड़ था, इस सीमा तक राजस्व अधिशेष को बढ़ाकर एवं राजकोषीय घाटे को कम कर बताया गया।

अनुशंसा: राज्य को राज्य आपदा मोर्चन निधि के अंतर्गत पड़े हुए शेष को दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश करना चाहिए।

1.5.2.3 आकस्मिक देयताएं–प्रत्याभूतियों की स्थिति

प्रत्याभूतियां राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधार ग्रहिता के लिए जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है, द्वारा छूक होने की स्थिति में आवश्यक होती है। मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश राज्य शासकीय प्रत्याभूति नियम 2009 (यथा संशोधित) अधिसूचित किया है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 यह निर्धारित करता है कि राज्य सरकार वार्षिक संवृद्धि कारक प्रत्याभूतियों की सीमा निश्चित करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल प्रत्याभूतियां वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो। 2016–17 के दौरान वार्षिक संवृद्धि कारक प्रतिभूतियां एवं कुल बकाया प्रत्याभूतियां, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम²⁸ के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अंदर थीं।

वित्त लेखे के विवरण पत्रक 9 में दर्ज अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के लिए अधिकतम राशियों और अंतिम तीन वर्षों के लिए बकाया प्रत्याभूतियां तालिका 1.34 में दी गई हैं।

तालिका 1.34: सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	31,885	40,171	40,395
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	88,641	1,05,511	1,23,307
वर्ष के अंत में प्रत्याभूतियों की बकाया राशि (ब्याज सहित)	20,124	27,530	33,397
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	35.97	38.07	32.76

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के संघटक विद्युत क्षेत्र की छह²⁹ इकाईयां (₹ 17,811 करोड़), सहकारी क्षेत्र के दो³⁰ संस्थान (₹ 4,897 करोड़), शहरी विकास एवं आवास के

^{27क} 2014–15 तक इस निधि में अंतिम शेष निरंक था।

²⁸ 2015–16 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 1,05,511 करोड़) का 80 प्रतिशत ₹ 84,408 करोड़, 2016–17 हेतु वार्षिक संवृद्धि प्रतिभूतियां ₹ 33,397 करोड़

²⁹ 1. म.प्र. विद्युत उत्पादक कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 2. म.प्र. विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 3. म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 4. म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, 5. म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर, 6. म.प्र. विद्युत प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

³⁰ 1. क्रेडिट सहकारी, 2. सहकारी चीनी मिलें

छह³¹ संस्थान (₹ 6,550 करोड़), अन्य क्षेत्रों के पाँच³² संस्थान (₹ 10,217 करोड़) एवं मध्य प्रदेश वित्त निगम (₹ 920 करोड़) थे।

प्रत्याभूति शुल्क

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी पर प्रभारित किया जाता है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो। इस तरह वसूल किया गया शुल्क सरकार के राजस्व में जमा किया जाता है। वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्य राशि ₹ 206.68 करोड़ में से ₹ 74.24 करोड़ (35.92 प्रतिशत) प्रत्याभूति शुल्क के रूप में वसूल किए गए थे और शासकीय लेखों में जमा किए गए थे। 2016–17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्य तथा वास्तविक प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क का विवरण तालिका 1.35 में दिया गया है।

तालिका 1.35: 2016–17 के दौरान प्राप्य तथा वास्तविक प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क का विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	संस्थान का नाम	प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क	प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क
1	मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	9.59	710.02
2	मध्य प्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	--	443.75
3	मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	3,765.28	--
4	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल	5,969.89	--
5	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर	2,368.73	--
6	मध्य प्रदेश विद्युत प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	104.25	--
7	क्रेडिट कोऑपरेटिव	4,289.76	--
8	मध्य प्रदेश वित्त निगम	250.00	--
9	नगर निगम	1,860.63	--
10	नगर पालिका	665.21	--
11	नगर पंचायत	0.30	--
12	राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण	115.80	--
13	नगर परिषद	438.28	--
14	मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	807.80	6,270.00
15	मध्य प्रदेश वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	22.50	--
योग		20,668.02	7,423.77

(स्रोत: वित्त लेखे 2016–17)

अनुशंसा: वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि (i) प्रत्याभूतियों का लाभ लेने वाले सभी संस्थान पूर्व प्रत्याभूति शुल्क का पूर्ण भुगतान करें एवं उस समय तक ऐसे संस्थानों को आगे कोई प्रत्याभूति न दी जाए तथा (ii) मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी, मध्य प्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी एवं मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम के प्रत्याभूति शुल्क विवरणों की समीक्षा एवं मिलान करें, जिन्होंने वित्त लेखों के अनुसार आवश्यकता से अधिक प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान किया है।

³¹ 1. नगर निगम, 2. नगर पालिका, 3. नगर पंचायत, 4. राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण, 5. नगर परिषद,

³² 6. म.प्र. पुलिस आवास निगम लिमिटेड
1. म.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, 2. म.प्र. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, 3. म.प्र. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
4. लोक निर्माण विभाग, 5. उच्च शिक्षा

प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य शासन ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005–06 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया। योजना के अनुसार निधि में, पूर्ववर्ती वर्ष में वसूल की गई प्रत्याभूति शुल्क एवं राज्य सरकार द्वारा समरूप अंशदान जमा किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार 31 मार्च 2017 की स्थिति में, मध्य प्रदेश सरकार ने ₹ 408.79 करोड़ का अंशदान प्रत्याभूति विमोचन निधि को किया, जो कि केंद्रीय सरकार की दिनांकित सिक्योरिटी में निवेशित की गई। इसमें ₹ 14.21 करोड़ 2016–17 में निवेशित/जमा किए गए। यह नीति तथापि राज्य वित्त सचिवों की समिति के प्रतिवेदन पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है, जिसमें प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन प्रत्याभूतियों के संकट भार के अनुसार किया जाना है। यह नहीं किया गया है। आगे, राज्य शासन को निधि के गठन के समय बकाया प्रत्याभूतियों का कम से कम एक प्रतिशत अंशदान करना अपेक्षित है तथा तत्पश्चात आगामी पाँच वर्षों में तीन प्रतिशत तक का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 0.50 प्रतिशत अंशदान करे। इस सूत्र के अनुसार, राज्य शासन से प्रत्याभूति विमोचन निधि को ₹ 688.26 करोड़ (₹ 14.21 करोड़ के स्थान पर) का अंशदान करना था। इस कमी के परिणामस्वरूप, 2016–17 में ₹ 674.05 करोड़ से राजस्व आधिशेष को अधिक एवं राजकोषीय घाटे को कम बताया गया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि योजना का पुनरीक्षण करने पर विचार करना चाहिए एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निधि में अंशदान करना चाहिए।

1.6 ऋण प्रबंधन

1.6.1 ऋण रूपरेखा

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण संधारणीयता³³ का निर्धारण करते हैं। यह भाग ऋण स्थिरीकरण³⁴, ऋणेतर प्राप्तियों की पर्याप्तता³⁵, उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता³⁶, ब्याज अदायगियों का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज अदायगी के अनुपात द्वारा मापा गया) और सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार सरकार के ऋणों की संधारणीयता का मूल्यांकन करता है।

³³ ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है यह अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरोकार को मूर्त रूप देती है। अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ होना चाहिए।

³⁴ ऋण स्थिरता के लिये एक आवश्यक शर्त है कि यदि अर्धव्यवस्था में वृद्धि की दर, लोक ऋणों की लागत अथवा ब्याज दर की तुलना में अधिक होती है तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा सकारात्मक हो अथवा संतुलित रूप से नकारात्मक हो।

³⁵ संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणेतर प्राप्तियों की पर्याप्तता है। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणेतर प्राप्तियों से होती है तो ऋण संधारणीयता को सरल किया जा सकता है।

³⁶ कुल ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन + ब्याज अदायगियाँ) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शाते हुये ऋण प्राप्तियाँ ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती हैं।

1.6.2 ऋण संधारणीयता

तालिका 1.36 2012–13 से शुरू होकर पाँच वर्ष की अवधि के लिए ऋण संधारणीयता के संकेतकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.36: ऋण संधारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण—संधारणीयता के संकेतक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 [#]
ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात	23.67	22.12	22.55	23.37	24.33
ऋणेतर संवृद्धिकारक प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)*	(-)3,660	(-)462	(-)1,470	(-)2,713	(-)13,599
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	2,838	569	4,793	10,367	19,578
ब्याज भुगतानों का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	8	8	8	8	7
राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (वर्षों में)					
0-1	3,271.72 (4.91)	4,007.99 (5.56)	3,849.35 (4.68)	600.01 (0.62)	605.46 (0.50)
1-3	6,493.73 (9.75)	6,078.30 (8.43)	7,400.03 (9.00)	7,791.24 (8.00)	10,721.90 (8.77)
3-5	6,994.44 (10.51)	9,430.95 (13.07)	13,334.95 (16.22)	13,726.17 (14.09)	14,377.82 (11.76)
5-7	12,808.00 (19.24)	13,059.46 (18.11)	11,652.18 (14.17)	12,062.69 (12.39)	13,902.21 (11.37)
7 और अधिक	37,009.25 (55.59)	39,536.62 (54.83)	46,025.00 (55.93)	63,206.34 (64.90)	82,701.05 (67.60)
कुल	66,577.14	72,113.32	82,261.51	97,386.45	1,22,308.44

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कोष्ठक में योग का प्रतिशत दर्शाया गया है।

* संवृद्धि ऋणेतर प्राप्तियाँ—(संवृद्धि प्राथमिक व्यय + संवृद्धि ब्याज अदायगी)

उदय के प्रभाव को शामिल कर

2016–17 के दौरान, 24.33 प्रतिशत का ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, चौदहवें वित्त आयोग के मानक प्रक्षेपण के रूप में निर्धारित 25.34 प्रतिशत की सीमा के अंदर था तथा बजट दस्तावेज में निर्धारित लक्ष्य (21.67 प्रतिशत) से उल्लेखनीय रूप से अधिक था।

2012–17 की अवधि के दौरान संसाधन अंतराल में उल्लेखनीय अंतर—वर्षों य उत्तार चढ़ाव राज्य द्वारा ऋणेतर प्राप्तियों का असंगत एकत्रीकरण इंगित करता है।

तालिका 1.37: उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के अंतर्गत प्राप्तियाँ	19,578	23,701	35,552	49,524	64,106
लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	16,740	23,132	30,759	39,157	44,528
उपलब्ध निवल निधियां	2,838	569	4,793	10,367	19,578
उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत में)	14.50	2.40	13.48	20.93	30.54

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपलब्ध निवल निधियों में वृद्धि प्रदर्शित करती है कि विकास गतिविधियों/सेवाओं के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधि में विगत वर्षों से काफी वृद्धि हुई है।

2016–17 के दौरान सार्वजनिक ऋण के तहत प्राप्त निवल निधि की उपलब्धता का प्रतिशत 30.54 था जो कि झारखण्ड (32.43 प्रतिशत) से कम था एवं उत्तर प्रदेश

(25.75 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (25.44 प्रतिशत) तथा बिहार (19.15 प्रतिशत) से अधिक था।

1.6.3 उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन एवं वित्तीय कायाकल्प के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ब्याज भार, विद्युत लागत, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानि को कम करना एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की परिचालन दक्षता में सुधार करना है।

मध्य प्रदेश शासन ने अगस्त 2016 में मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों³⁷ एवं विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। जिसके अनुसार मध्य प्रदेश शासन 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों के 75 प्रतिशत ऋण को पाँच वर्षों में ले लेगी जिसका विवरण तालिका 1.38 में दिया गया है। 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों का कुल ऋण ₹ 34,739 करोड़ था एवं इसका 75 प्रतिशत अर्थात ₹ 26,055 करोड़ इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए जाने हेतु सहमति दी गई थी।

तालिका 1.38: मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिये जाने वाले मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋण का विवरण

वर्ष	कुल ऋण का प्रतिशत	अनुदान के रूप में वितरण कम्पनियों को अंतरण	समता पूँजी के रूप में वितरण कम्पनियों को अंतरण	(₹ करोड़ में) वर्ष के अंत में वितरण कम्पनियों का बकाया ऋण
2016-17	21.80	-	7,568	18,487
2017-18	13.30	4,622	-	13,865
2018-19	13.30	4,622	-	9,243
2019-20	13.30	4,622	-	4621
2020-21	13.30	4,621	-	-
योग	75.00	18,487	7,568	-

(स्रोत: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन एवं मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों के मध्य समझौता ज्ञापन)

जैसा कि समझौता ज्ञापन में करार किया गया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2016–17 के दौरान मध्य प्रदेश वितरण कम्पनियों के ₹ 7,568 करोड़ की सीमा तक के ऋण को भुगतान किया। तथापि, मध्य प्रदेश शासन ने समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट अनुसार समता पूँजी के रूप में ₹ 7,568 करोड़ के स्थान पर, ₹ 3,557 करोड़ समता पूँजी के रूप में अंतरित किए जबकि शेष राशि ₹ 4,011 करोड़ अनुदान के रूप में अंतरित की।

1.7 अनुवर्ती कार्रवाई

2008–09 से राज्य वित्त पर पृथक प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं तथा राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लोक लेखा समिति द्वारा अभी इन प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श किया जाना है।

³⁷ मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड शामिल हैं।